1. In the court of Abhishek k. Das. Sessions Judge, East Champaran at Motihari,
A.B.P. No. 1195/2026, dt. 17.03.2026, Umesh Kumar & four others. Vrs. State of Bihar.

न्यायालय,सत्र न्यायाधीश,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

<u>अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–1195/2026</u>

उपस्थित :– अभिषेक कुमार दास
सत्र न्यायाधीश,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

1. उमेश कुमार वल्द इन्द्रदेव महतो उम्र करीब 38 वर्ष
2. सच्चिदानंद कुमार इन्द्रदेव महतो उम्र करीब 27 वर्ष
3. धीरज कुमार वल्द इन्द्रदेव महतो उम्र करीब 34 वर्ष
4. कौशल्या देवी पति इन्द्रदेव महतो उम्र करीब 61 वर्ष
5. चंदा देवी पति उमेश कुमार उम्र करीब 34 वर्ष

ग्राम–सिंघिया हीबन वार्ड नं.–1, थाना–बंजरिया, जिला–पूर्वी चम्पारण.आवेदकगण।

बनाम

बिहार सरकार .....विपक्षी ।

आवेदकगण की ओर से – श्री प्रदीप कुमार ,विद्वान अधिवक्ता ।
अभियोजन की ओर से – श्री खूबलाल प्रसाद,
विद्वान लोक अभियोजक।

आदेश

17.03.2026 यह अग्रिम जमानत आवेदन आवेदक/अभियुक्तगण उमेश कुमार, सच्चिदानन्द कुमार, धीरज कुमार, कौशल्या देवी एवं चंदा देवी की ओर से बंजरिया थाना कांड संख्या–73/2026 , धारा–126(2), 303(2),109, 74, 351(2), 352/3(5),115(2) बी.एन.एस. में अपनी गिरफ्तारी की आशंका होने पर दाखिल किया गया है।

अभियोजन घटना इस प्रकार है कि सूचक सुरेन्द्र महतो का कथन है कि दिनांक 21.01.2026 को अपने भतीजा उमेश कुमार कुमार को बोला कि सामूहिक रूप से जो रास्ता है उसका केस पड़ोसी द्वारा चल रहा है, कचहरी जाना है आज तारीख है तो उमेश कुमार बोला कि वह न जाएगा न खर्चा देगा। उमेश कुमार सुबह से ही शराब पीकर नशे में रहता है । वह बोला कि वे पूरे परिवार सम्मिलित रूप से आगे घर बना लिए और वह दो भाई को बिना रास्ता दिए छोड़ दिए। उसके सब्जी वाला पाझा बनाकर गोबर लकड़ी रखकर जो भी घर में जाने का रास्ता है उसे अवरूद्ध कर दिया है। इसी बात पर उमेश कुमार घर में गया और परिवार के लोगों को सहेजते हुए हरवे हथियार से लैश

होकर आए और जान मारने की नियत से सच्चिदानंद कुमार, धीरज कुमार, इन्द्रदेव महतो, कौशल्या देवी, चंदा देवी सभी एक राय एक जुट होकर आए और दाब लोहे का, फरसा, हँसुआ, खुरपी से सर पर बार करने लगे । सभी लोग बोले कि अभी नहीं मरा है तो उसके गर्दन में रस्सी लगाकर मारने का प्रयास किया, आस–पड़ोस के लोग जान बचाए ।

अग्रिम जमानत आवेदन की कंडिका–2, में कहा गया है कि आवेदकगण के द्वारा पूर्व में अन्य कोई नियमित/अग्रिम जमानत आवेदन इस न्यायालय में या माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है तथा कंडिका–3 में कहा गया है कि आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास दर्ज नहीं है।

आवेदक/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत आवेदन में कथन किया गया है कि यह स्वीकृत है कि उभय पक्षों के बीच रास्ता को लेकर विवाद चल रहा है। आवेदकगण के विरूद्ध आरोपित आरोप अस्पष्ट एवं सामान्य है। आवेदकगण निर्दोष है, उसने आरोपित घटना को कारित नहीं किया है, उन्हें पट्टीदारी एवं जमीनी विवाद तथा पलटा मुकदमा 72/2026 के कारण इस मामले में झूठा आरोपित किया है। उभय पक्षों के बीच मामला सुलह हो गया है। आवेदक एवं सूचक खास सगा भाई है। आवेदकगण को आशंका है कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। अतः जमानत पर छोड़े जाने की प्रार्थना की गयी है।

विद्वान लोक अभियोजक द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

उभय पक्षों को सुना। प्राथमिकी की सच्ची प्रमाणित प्रति एवं केस डायरी की अभिप्रमाणित प्रति का अवलोकन किया, जिससे प्रतीत होता है कि आवेदक प्राथमिकी में नामित अभियुक्त है। आवेदकगण के विरूद्ध अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर सूचक को फरसा, हंसुआ, खुरपी लोहा का दाब से मारपीट कर जख्मी कर देने का आरोप है। कांड दैनिकी की कंडिका– 35 में सूचक का जख्म प्रतिवेदन अंकित है, जिसमें जख्मी का एन.सी.सी.टी एवं एक्स–रे प्रतिवेदन अंकित है जिसमें चिकित्सक की राय में जख्मी के सर के दाएं तरफ नरम उतक में सूजन पाया गया है तथा एक्स–रे प्रतिवेदन सामान्य पाया गया है। अब उभय पक्षों के बीच मामला सुलह हो गया है तथा उभय पक्षों की ओर से हस्ताक्षरित एवं अंगूठे के निशान से समर्थित फोटोयुक्त सुलहनामा आवेदन एवं सुलह करने हेतु अनुमति आवेदन की सच्ची प्रमाणित प्रति दाखिल किया गया है, जिसे उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभिप्रमाणित किया गया हैं कांड दैनिकी की कंडिका–26

के अनुसार आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास होना अंकित नहीं है। उभय पक्षों के बीच पलटा मुकदमा बंजरिया थाना कांड संख्या– 72/2026 चल रहा है।

अतः उपरोक्त तथ्यों, प्राथमिकी में आवेदकगण के विरूद्ध आरोप की प्रकृति, सूचिका को कारित जख्म की साधारण प्रकृति, आवेदक का पूर्व स्वच्छ आपराधिक वृति, उभय पक्षों के बीच चल रहे पलटा मुकदमा एवं उभय पक्षों के बीच स्थापित मधुर संबंध को ध्यान में रखते हुए आवेदक/अभियुक्तगण की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को स्वीकृत किया जाता है तथा आवेदक/अभियुक्तगण उमेश कुमार, सच्चिदानन्द कुमार, धीरज कुमार, कौशल्या देवी एवं चंदा देवी को आदेश प्राप्ति के एक माह के अन्दर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय में मो0 10000/–रु. के बंध–पत्र एवं इतने ही राशि के दो प्रतिभू दाखिल करने पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद समाधान पर धारा– 482(2) बी.एन.एस.एस. के शर्तो के अधीन इस शर्त के साथ मुक्त किए जाने का आदेश दिया जाता है कि आवेदकगण अनुसंधान में सहयोग करेंगे।

लेखापित

ह0/–
सत्र न्यायाधीश,
पूर्वी चम्पारण,मोतिहारी।
दिनांक 17.03.2026